Toppersnotes®
Unleash the topper in you

# RAJASTHAN

## COOPERATIVE BANK

Rajasthan Cooperative Recruitment Board (RCRB)

भाग - 6

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 और नियम, 2003

SIERRA INNOVATIONS

# विषय सूची


| राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (Act No. 16 of 2002) 3 अक्टूबर 2002 | | |
|---|---|---|
| क्र.सं. | अध्याय | पृष्ठ सं. |
| 1. | प्रारम्भिक | 1 |
| 2. | निगमन | 7 |
| 3. | सहकारी सोसाइटियों के सदस्य और उनके अधिकार तथा दायित्व | 19 |
| 4. | सहकारी सोसाइटियों का प्रबन्ध | 24 |
| 5. | निर्वाचन | 41 |
| 6. | सहकारी सोसाइटियों के विशेषाधिकार | 44 |
| 7. | सहकारी सोसाइटियों को राज्य सहायता | 51 |
| 8. | सहकारी सोसाइटियों की सम्पत्तियां और निधियां | 54 |
| 9. | लेखापरीक्षा, जाँच और अधिभार | 59 |
| 10. | विवादों का निपटारा | 67 |
| 11. | सहकारी सोसाइटियों का परिसमापन और विघटन | 72 |
| 12. | भूमि विकास बैंक | 78 |
| 13. | अधिनिर्णयों, डिक्रीयों, आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन | 96 |
| 14. | अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन | 101 |
| 15. | अपराध और शास्तियाँ | 106 |
| 16. | प्रकीर्ण | 108 |
| **राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003** | | |
| 1. | प्रारम्भिक | 115 |
| 2. | निगमन | 120 |
| 3. | सहकारी सोसाइटियों के सदस्य तथा उनके अधिकार और दायित्व | 132 |
| 4. | सोसाइटि का प्रबन्ध | 141 |
| 5. | निर्वाचन | 159 |
| 6. | सहकारी सोसाइटियों के विशेषाधिकार निर्वाचन | 169 |
| 7. | सहकारी सोसाइटियों की सम्पत्तियां और निधियां | 175 |
| 8. | लेखा परीक्षा, जांच, निरीक्षण, अधिभार | 189 |

| | | |
|---|---|---|
| 9. | विवादों का निपटारा | **198** |
| 10. | सोसाइटियों का परिसमापन और विघटन | **202** |
| 11. | भूमि विकास बैंक | **206** |
| 12. | अधिनिर्णयों, डिक्रीयों, आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन | **215** |
| 13. | अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन | **235** |
| 14. | प्रकीर्ण | **239** |
| | **बैंकिंग** | |
| 1. | राजस्थान की सहकारी संरचना | **248** |
| 2. | भारत में बैंकिंग | **253** |
| 3. | मौद्रिक नीति | **279** |

# 1 अध्याय प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और प्रसार:**
   1) इस अधिनियम का नाम **राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001** है।
   2) इसका प्रसार **सम्पूर्ण राजस्थान राज्य** में है।
   3) यह अधिनियम उस **तारीख से प्रवृत्त** होगा जो राज्य सरकार, राज़पत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करेगी।

2. **परिभाषाएं:**

   **(क) (a) शीर्ष सहकारी बैंक:** ऐसी शीर्ष सोसाइटी जो राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों का परिसंघीय निकाय है और बैंककारी के व्यवसाय में संलग्न है।

   **(कक) (aa) शीर्ष सोसाइटी:** ऐसी सोसाइटी जिसका प्रमुख उद्देश्य उससे सम्बद्ध अन्य सोसाइटियों के कार्य संचालन के लिए सुविधाएं प्रदान करना है और जिसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में फैला हुआ है।

   **(ख) (b) सहकारी सोसाइटी का कार्यक्षेत्र:** उपविधियों में यथाविनिर्दिष्ट ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, जिस तक सोसाइटी की सदस्यता और कार्यकलाप सामान्यतः सीमित होते हैं।

   **(ग) (c) उपविधियाँ:** इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई और तत्समय प्रवृत्त किसी सोसायटी की उपविधियां, जिनमें रजिस्ट्रीकृत संशोधन भी शामिल हैं।

   **(घ) (d) केन्द्रीय सोसाइटी:** ऐसी सोसाइटी जिसका कार्यक्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने और सम्बद्ध अन्य सोसाइटियों के कार्यकलाप के लिए सुविधाएं प्रदान करना है, और जिसके कम से कम पाँच सदस्य स्वयं सोसाइटियाँ हैं।
   - लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी के संबंध में कार्यक्षेत्र से संबंधित निर्बन्धन लागू नहीं होंगे।

   **(घक)** (d-a) **केन्द्रीय सहकारी बैंक:** ऐसी केन्द्रीय सोसाइटी जिसके सदस्य प्राथमिक कृषि साख सोसाइटियाँ हैं और जो बैंकिंग के व्यवसाय में संलग्न है।

   **(ङ) ( e) मुख्य कार्यपालक अधिकारी:** ऐसा व्यक्ति, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसे समिति के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए सोसाइटी का प्रबंध सौंपा जाता है।

   **(च) (f) प्रमुख उद्देश्य:** किसी सहकारी सोसाइटी के मुख्य उद्देश्य जिनके लिए उसका गठन किया गया है और जो नियमों के अनुसार उसके वर्गीकरण के आधार हैं।

   **(छ) (g) कलक्टर:** राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 20 के अधीन नियुक्त किसी जिले का कलक्टर।

   **(ज) (h) समिति:** किसी सहकारी सोसाइटी का ऐसा शासी निकाय, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसे सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध सौंपा जाता है।

   **(झ) (i) सहकारी सोसाइटी**: यह एक सोसाइटी है जो इस अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत मानी जाती है।

   **(ञ) (j) परिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी**: ऐसी सोसाइटी जिसमें परिसमापन की स्थिति में, सदस्य अपने दायित्व को निम्नलिखित तक सीमित करते हैं:
   - **i.** उन शेयरों पर एक निश्चित राशि तक, जो उन्होंने धारित किए हैं।
   - **ii.** अभिप्रेत शेयर पूँजी की रकम की पांच गुनी से अधिक न हो।

   **(ट) (k) अपरिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी**: ऐसी सोसाइटी जिसमें सदस्य परिसमापन की स्थिति में सोसाइटी की बाध्यताओं और आस्तियों में कमी के लिए संयुक्ततः और पृथक्तः दायित्वपूर्ण होते हैं।

   **(ठ) (l) कार्यपालक अधिकारी**: वह अधिकारी जो सोसाइटी के प्रबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त होता है, और सोसाइटी की कार्यप्रणाली के प्रबंध और नियंत्रण के लिए समिति के अधीक्षण के तहत काम करता है।

   **(ड) (m)** "कुटुम्ब" से आशय पति और पत्नी और उन पर आश्रित संतानें और पति की विधवा माता, जो उन पर आश्रित हो, से मिलकर बनने वाले कुटुंब से है;

   **(ढ) (n)** "वित्तीय बैंक" से तात्पर्य ऐसी सहकारी सोसाइटी से है जिसका मुख्य उद्देश्य अन्य संस्थाओं को धन उधार देना है तथा जिसमें भूमि विकास बैंक भी सम्मिलित है;

   **(ण) (o) सरकार**: यहां 'सरकार' से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है।

   **(त) (p) सदस्य**: इस परिभाषा में, सदस्य से तात्पर्य है:
   - उन व्यक्तियों से जो सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में शामिल हैं।
     - और उन व्यक्तियों से जो रजिस्ट्रीकरण के बाद इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अनुसार सदस्य बनाए जाते हैं।

- इसमें नाममात्र के सदस्य और सहयुक्त सदस्य भी शामिल हैं।

**(तक) (p-a) राष्ट्रीय बैंक**: यह परिभाषा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) को संदर्भित करती है, जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के तहत स्थापित है।

**(तख) (p-b) पदाधिकारी**: इस परिभाषा में 'पदाधिकारी' से तात्पर्य है:

- किसी सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष।
- इसके अतिरिक्त, किसी सहकारी सोसाइटी की समिति द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी इस परिभाषा में शामिल है।

**(थ) (q) अधिकारी: इस परिभाषा में** 'अधिकारी' से तात्पर्य है:

- किसी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रशासक, समापक या सदस्य।
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए।
- इसके अतिरिक्त, ऐसे कोई अन्य व्यक्ति जो नियमों और उपविधियों के अधीन सहकारी सोसाइटी के कारोबार के संबंध में निदेश देने के लिए सशक्त होता है।

**(थक) (q-a) प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी**: यह परिभाषा बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (गगiv) के तहत परिभाषित और इस अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी को संदर्भित करती है।

**(द) (r) प्राथमिक सोसाइटी**: ऐसी सोसाइटी जिसे न तो शीर्ष सोसाइटी और न ही केन्द्रीय सोसाइटी माना जाता है, और जो मुख्य रूप से व्यष्टियों द्वारा गठित होती है, उसे प्राथमिक सोसाइटी कहा जाता है।

**(ध) (s) विहित**: 'विहित' से तात्पर्य है कि जो भी प्रावधान इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया गया है, उसे विहित माना जाएगा।

**(न) (t) रजिस्ट्रार**: इस परिभाषा में 'रजिस्ट्रार' से तात्पर्य है: उस व्यक्ति से जो इस अधिनियम के तहत सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त होता है।

इसके अंतर्गत रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति भी आता है, जब वह रजिस्ट्रार की समस्त या किसी भी शक्ति का प्रयोग करता है।

**(नक) (t-a) भारतीय रिजर्व बैंक**: यह परिभाषा भारतीय रिजर्व बैंक को संदर्भित करती है, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित किया गया है।

**(प) (u)राजस्व अपील अधिकारी**: यह परिभाषा राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 20 के तहत नियुक्त या पदाभिहित अधिकारी को संदर्भित करती है, जो राजस्व से संबंधित अपीलों का निपटान करता है।

**(फ) (v) नियम**: इस परिभाषा में 'नियम' से तात्पर्य है कि वे नियम जो इस अधिनियम के तहत बनाए गए हैं।

**(ब) (w) विशेष संकल्प**: यह परिभाषा किसी सोसाइटी के साधारण निकाय के एक विशेष संकल्प को संदर्भित करती है, जिसे निम्नलिखित शर्तों के साथ पारित किया गया हो:

- मत देने का अधिकार रखने वाले सदस्यों के पचास प्रतिशत से अधिक ने समर्थन दिया हो।
- बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई से कम से कम अनुमोदन प्राप्त किया हो।

**(भ) (x) स्वसाहाय्य समूह**: यह परिभाषा उन व्यक्तियों के समूह को संदर्भित करती है जो अपनी अल्प मात्रा की बचत को एकत्रित करने और अपने सदस्यों को परस्पर सहमति से उधार देने के लिए स्वेच्छा से बनाया गया होता है। यह समूह सदस्य को उधार लेने के लिए भी तैयार रहता है, और इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच वित्तीय सहायता को प्रोत्साहित करना होता है।

**(भक)** (x-a) **लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी**: इस परिभाषा में, 'लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी' से तात्पर्य है:

- ऐसी सोसाइटी जो शीर्ष स्तर, केन्द्रीय स्तर, या प्राथमिक स्तर पर लघु अवधि सहकारी साख व्यवसाय में संलग्न है।
- इसमें शीर्ष सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, और प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी शामिल हैं।

**(म) (y) अधिकरण**: यह परिभाषा धारा 105 के अधीन गठित किसी भी अधिकरण को संदर्भित करती है। यह अधिकरण आमतौर पर किसी विशेष कार्य या मुद्दे के निपटान के लिए गठित किया जाता है।

**(य) (z) कमजोर वर्ग**: इस परिभाषा में 'कमजोर वर्ग' से तात्पर्य है:

- भूमिहीन कृषि-श्रमिक
- ग्रामीण कारीगर
- सीमान्त कृषक
- लघु कृषक
- आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े एवं उपेक्षित व्यक्ति

ये वर्ग राज्य सरकार द्वारा उनकी जोत के आकार, आय, और विभिन्न इलाकों के आधार पर, जो राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के तहत अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए विभाजित किए जाते हैं, राजपत्र में प्रकाशित आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए जाते हैं।

**(र) (z-a) वर्ष**: इस परिभाषा में 'वर्ष' से तात्पर्य है एक बारह मास की कालावधि, जिसे किसी सहकारी सोसाइटी के लेखे रखने के लिए विहित किया गया हो।

## अध्याय-1 (प्रारंभिक) वस्तुनिष्ठ प्रश्न

**प्रश्न.1 राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 अधिनियम का प्रसार किस क्षेत्र में है?**

A) केवल जयपुर जिले में
B) सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में
C) राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में
D) केवल शहरी क्षेत्रों में

**उत्तर: B) सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में**

**प्रश्न.2 राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की प्रभावी तारीख किस प्रकार निर्धारित की जाती है?**

A) विधान सभा द्वारा
B) राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
C) उच्च न्यायालय द्वारा
D) केन्द्र सरकार द्वारा

**उत्तर: B) राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा**

**प्रश्न.3 'शीर्ष सहकारी बैंक' की परिभाषा क्या है?**

A) एक सामान्य बैंक जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है
B) ऐसी शीर्ष सोसाइटी जो राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों का परिसंघीय निकाय है और बैंककारी के व्यवसाय में संलग्न है
C) एक स्थानीय बैंक जो केवल एक जिले में कार्य करता है
D) एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो विभिन्न देशों में कार्य करता है

**उत्तर: B) ऐसी शीर्ष सोसाइटी जो राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों का परिसंघीय निकाय है और बैंककारी के व्यवसाय में संलग्न है**

**प्रश्न.4 'उपविधियाँ' की परिभाषा में क्या शामिल है?**

A) राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई नियमावली
B इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई सोसाइटी की उपविधियां, जिनमें रजिस्ट्रीकृत संशोधन भी शामिल हैं
C) केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई नीतियां
D) सार्वजनिक उपयोग के लिए जारी की गई घोषणाएं

**उत्तर: B) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई सोसाइटी की उपविधियां, जिनमें रजिस्ट्रीकृत संशोधन भी शामिल हैं**

**प्रश्न.5 'केन्द्रीय सोसाइटी' की परिभाषा क्या है?**

A) एक सोसाइटी जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण देश में फैला हुआ है
B) एक सोसाइटी जिसका कार्यक्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने और सम्बद्ध अन्य सोसाइटियों के कार्यकलाप के लिए सुविधाएं प्रदान करना है, और जिसके कम से कम पाँच सदस्य स्वयं सोसाइटियाँ हैं
C) एक सोसाइटी जो केवल शहरी क्षेत्रों में कार्य करती है
D) एक सोसाइटी जो बैंकिंग के व्यवसाय में संलग्न है

**उत्तर: B) एक सोसाइटी जिसका कार्यक्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने और सम्बद्ध अन्य सोसाइटियों के कार्यकलाप के लिए सुविधाएं प्रदान करना है, और जिसके कम से कम पाँच सदस्य स्वयं सोसाइटियाँ हैं**

**प्रश्न.6 'केन्द्रीय सहकारी बैंक' की परिभाषा क्या है?**

A) एक स्थानीय बैंक जो छोटे कर्ज़ों का वितरण करता है
B) एक केन्द्रीय सोसाइटी जिसके सदस्य प्राथमिक कृषि साख सोसाइटियाँ हैं और जो बैंकिंग के व्यवसाय में संलग्न है
C) एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो विभिन्न देशों में कार्य करता है
D) एक बैंक जो केवल शहरी क्षेत्रों में कार्य करता है

**उत्तर: B) एक केन्द्रीय सोसाइटी जिसके सदस्य प्राथमिक कृषि साख सोसाइटियाँ हैं और जो बैंकिंग के व्यवसाय में संलग्न है**

**प्रश्न.7 'मुख्य कार्यपालक अधिकारी' से क्या तात्पर्य है?**

A) कोई व्यक्ति जो सोसाइटी के सभी वित्तीय लेन-देन को प्रबंधित करता है
B) ऐसा व्यक्ति, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसे समिति के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए सोसाइटी का प्रबंध सौंपा जाता है
C) एक बाहरी सलाहकार जो सोसाइटी की वित्तीय स्थिति का आकलन करता है
D) कोई व्यक्ति जो केवल सदस्यता बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है

**उत्तर: B) ऐसा व्यक्ति, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसे समिति के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए सोसाइटी का प्रबंध सौंपा जाता है**

**प्रश्न.8 'प्रमुख उद्देश्य' की परिभाषा क्या है?**

A) कोई विशेष योजना जो सोसाइटी के विकास के लिए बनाई जाती है
B) किसी सहकारी सोसाइटी के मुख्य उद्देश्य जिनके लिए उसका गठन किया गया है और जो नियमों के अनुसार उसके वर्गीकरण के आधार हैं
C) सोसाइटी की ओर से नियमित रूप से किए जाने वाले कार्य
D) कोई भी उद्देश्य जो सोसाइटी की ओर से समय-समय पर बदलता रहता है

**उत्तर: B) किसी सहकारी सोसाइटी के मुख्य उद्देश्य जिनके लिए उसका गठन किया गया है और जो नियमों के अनुसार उसके वर्गीकरण के आधार हैं**

**प्रश्न.9 'कलक्टर' की परिभाषा क्या है?**

A) एक अधिकारी जो राज्य के कृषि विभाग का प्रमुख होता है

B) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 20 के अधीन नियुक्त किसी जिले का कलक्टर\

C) एक स्थानीय सरकारी अधिकारी जो शहरी योजना का प्रबंधन करता है

D) एक अधिकारी जो राज्य के सभी वित्तीय लेन-देन का प्रबंधन करता है

**उत्तर: B) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 20 के अधीन नियुक्त किसी जिले का कलक्टर**

**प्रश्न.10 'समिति' की परिभाषा क्या है?**

A) एक स्वायत्त निकाय जो सामाजिक कल्याण योजनाओं का प्रबंधन करता है

B) किसी सहकारी सोसाइटी का ऐसा शासी निकाय, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसे सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध सौंपा जाता है

C) एक सरकारी विभाग जो सहकारी सोसाइटी के पंजीकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है

D) एक बाहरी संगठन जो सोसाइटी की वित्तीय रिपोर्टों का ऑडिट करता है

**उत्तर: B) किसी सहकारी सोसाइटी का ऐसा शासी निकाय, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसे सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध सौंपा जाता है**

**प्रश्न.11 'सहकारी सोसाइटी' की परिभाषा क्या है?**

A) एक सामान्य क्लब या संगठन

B) एक सोसाइटी जो इस अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत मानी जाती है

C) एक व्यवसायिक संघ जो केवल एक उद्योग में काम करता है

D) एक शैक्षिक संस्थान जो सहकारी प्रबंधन का प्रशिक्षण देता है

**उत्तर: B) एक सोसाइटी जो इस अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत मानी जाती है**

**प्रश्न.12 'परिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी' की परिभाषा क्या है?**

A) ऐसी सोसाइटी जिसमें सदस्य अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाते हैं

B) ऐसी सोसाइटी जिसमें परिसमापन की स्थिति में, सदस्य अपने दायित्व को कुछ सीमाओं तक सीमित करते हैं

C) ऐसी सोसाइटी जिसमें सदस्य अपने व्यक्तिगत संपत्ति को जोखिम में डालते हैं

D) ऐसी सोसाइटी जिसमें किसी भी प्रकार की वित्तीय सुरक्षा की गारंटी नहीं होती

**उत्तर: B) ऐसी सोसाइटी जिसमें परिसमापन की स्थिति में, सदस्य अपने दायित्व को कुछ सीमाओं तक सीमित करते हैं**

**प्रश्न.13 'अपरिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी' की परिभाषा क्या है?**

A) ऐसी सोसाइटी जिसमें सदस्य परिसमापन की स्थिति में दायित्व से मुक्त होते हैं

B) ऐसी सोसाइटी जिसमें सदस्य परिसमापन की स्थिति में सोसाइटी की बाध्यताओं और आस्तियों में कमी के लिए संयुक्तत: और पृथक्त: दायित्वपूर्ण होते हैं

C) ऐसी सोसाइटी जिसमें सदस्य केवल सोसाइटी की आस्तियों के लिए दायित्वपूर्ण होते हैं

D) ऐसी सोसाइटी जिसमें दायित्व केवल शेयर पूँजी तक सीमित होता है

**उत्तर: B) ऐसी सोसाइटी जिसमें सदस्य परिसमापन की स्थिति में सोसाइटी की बाध्यताओं और आस्तियों में कमी के लिए संयुक्तत: और पृथक्त: दायित्वपूर्ण होते हैं**

**प्रश्न.14 'कार्यपालक अधिकारी' की परिभाषा क्या है?**

A) वह अधिकारी जो समिति के अधीक्षण के बिना काम करता है

B) वह अधिकारी जो सोसाइटी के प्रबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त होता है और सोसाइटी की कार्यप्रणाली के प्रबंध और नियंत्रण के लिए समिति के अधीक्षण के तहत काम करता है

C) वह अधिकारी जो सोसाइटी के वित्तीय मामलों का प्रबंध करता है

D) वह अधिकारी जो केवल सदस्यता वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है

**उत्तर: B) वह अधिकारी जो सोसाइटी के प्रबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त होता है और सोसाइटी की कार्यप्रणाली के प्रबंध और नियंत्रण के लिए समिति के अधीक्षण के तहत काम करता है**

**प्रश्न.15 'सरकार' की परिभाषा में किस सरकार का तात्पर्य है?**

A) भारत सरकार

B) राजस्थान राज्य की सरकार

C) केन्द्र सरकार

D) स्थानीय नगर निगम

**उत्तर: B) राजस्थान राज्य की सरकार**

**प्रश्न.16 'सदस्य' की परिभाषा में कौन-कौन लोग शामिल हैं?**

A) केवल सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले लोग

B) केवल रजिस्ट्रीकरण के बाद सदस्य बनाए गए लोग

C) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले और रजिस्ट्रीकरण के बाद सदस्य बनाए गए लोग, जिसमें नाममात्र के और सहयुक्त सदस्य भी शामिल हैं

D) केवल नाममात्र के सदस्य

**उत्तर: C) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले और रजिस्ट्रीकरण के बाद सदस्य बनाए गए लोग, जिसमें नाममात्र के और सहयुक्त सदस्य भी शामिल हैं**

**प्रश्न.17 राष्ट्रीय बैंक' की परिभाषा किसको संदर्भित करती है?**

A) भारतीय रिजर्व बैंक
B) एक स्थानीय बैंक
C) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के तहत स्थापित है
D) कोई अंतर्राष्ट्रीय बैंक

**उत्तर: C) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के तहत स्थापित है**

**प्रश्न.18 'पदाधिकारी' की परिभाषा में कौन-कौन लोग शामिल हैं?**

A) केवल सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष
B) केवल सहकारी सोसाइटी का उपाध्यक्ष
C) किसी सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और समिति द्वारा निर्वाचित कोई अन्य व्यक्ति
D) केवल समिति द्वारा निर्वाचित लोग

**उत्तर: C) किसी सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और समिति द्वारा निर्वाचित कोई अन्य व्यक्ति**

**प्रश्न.19 'अधिकारी' की परिभाषा में कौन-कौन शामिल है?**

A) केवल समिति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
B) केवल मुख्य कार्यपालक अधिकारी
C) समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रशासक, समापक, सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, और नियमों तथा उपविधियों के अधीन सशक्त अन्य व्यक्ति
D) केवल मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रशासक

**उत्तर: C) समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रशासक, समापक, सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, और नियमों तथा उपविधियों के अधीन सशक्त अन्य व्यक्ति**

**प्रश्न.20 'प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी' की परिभाषा किससे संबंधित है?**

A) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
B) बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (गगIV)
C) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981
D) राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001

**उत्तर: B) बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (गगIV)**

**प्रश्न.21 'प्राथमिक सोसाइटी' की परिभाषा क्या है?**

A) ऐसी सोसाइटी जो शीर्ष और केन्द्रीय सोसाइटी दोनों को शामिल करती है
B) ऐसी सोसाइटी जो केवल शीर्ष सोसाइटी होती है
C) ऐसी सोसाइटी जो न तो शीर्ष सोसाइटी है न केन्द्रीय सोसाइटी और जो मुख्य रूप से व्यष्टियों द्वारा गठित होती है
D) ऐसी सोसाइटी जो केवल केन्द्रीय सोसाइटी होती है

**उत्तर: C) ऐसी सोसाइटी जो न तो शीर्ष सोसाइटी है न केन्द्रीय सोसाइटी और जो मुख्य रूप से व्यष्टियों द्वारा गठित होती है**

**प्रश्न.22 'विहित' की परिभाषा में क्या तात्पर्य है?**

A) किसी भी नियम द्वारा निर्धारित किया गया प्रावधान
B) नियमों द्वारा निर्धारित कोई भी प्रावधान
C) जो भी प्रावधान इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया गया है
D) अनौपचारिक प्रावधान

**उत्तर: C) जो भी प्रावधान इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया गया है**

**प्रश्न.23 'रजिस्ट्रार' की परिभाषा में कौन शामिल है?**

A) केवल वह व्यक्ति जो सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार के कृत्यों का पालन करता है
B) वह व्यक्ति जो सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार के कृत्यों का पालन करता है और रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्ति
C) केवल सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्ति
D) केवल राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी

**उत्तर: B) वह व्यक्ति जो सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार के कृत्यों का पालन करता है और रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्ति**

**प्रश्न.24 'भारतीय रिजर्व बैंक' की परिभाषा क्या है?**

A) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक
B) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
C) भारतीय स्टेट बैंक
D) कोई स्थानीय बैंक

**उत्तर: A) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक**

**प्रश्न.25 'राजस्व अपील अधिकारी' की परिभाषा में कौन शामिल है?**

A) किसी जिले का कलक्टर
B) कोई भी अधिकारी जो राजस्व मामलों में मदद करता है
C) राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 20 के तहत नियुक्त या पदाभिहित अधिकारी
D) केवल वित्तीय मामलों में सलाहकार

**उत्तर: C) राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 20 के तहत नियुक्त या पदाभिहित अधिकारी**

**प्रश्न.26 'विशेष संकल्प' की परिभाषा में क्या शर्तें शामिल हैं?**

A) केवल साधारण निकाय की स्वीकृति
B) मत देने का अधिकार रखने वाले सदस्यों के पचास प्रतिशत से अधिक और बैठक में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अनुमोदन प्राप्त होना
C) सदस्यों के पचास प्रतिशत से अधिक की स्वीकृति
D) बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों की स्वीकृति

**उत्तर: B) मत देने का अधिकार रखने वाले सदस्यों के पचास प्रतिशत से अधिक और बैठक में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अनुमोदन प्राप्त होना**

**प्रश्न.27 'स्वसाहाय्य समूह' की परिभाषा में क्या तात्पर्य है?**

A) एक ऐसा समूह जो केवल बचत करता है
B) उन व्यक्तियों का समूह जो अपनी अल्प मात्रा की बचत को एकत्रित करने और अपने सदस्यों को परस्पर सहमति से उधार देने के लिए बनाया गया होता है
C) एक ऐसा समूह जो केवल उधार लेने के लिए तैयार होता है
D) एक ऐसा समूह जो केवल निवेश करता है

**उत्तर: B) उन व्यक्तियों का समूह जो अपनी अल्प मात्रा की बचत को एकत्रित करने और अपने सदस्यों को परस्पर सहमति से उधार देने के लिए बनाया गया होता है**

**प्रश्न.28 'लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी' की परिभाषा में कौन-कौन शामिल है?**

A) शीर्ष सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी
B) केवल शीर्ष सहकारी बैंक
C) शीर्ष सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, और प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी
D) केवल प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी

**उत्तर: C) शीर्ष सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, और प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी**

**प्रश्न.29 'अधिकरण' की परिभाषा किससे संबंधित है?**

A) धारा 105 के अधीन गठित कोई विशेष समिति
B) धारा 105 के अधीन गठित किसी भी अधिकरणC) किसी भी न्यायालय द्वारा गठित समिति
D) किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त एकल अधिकारी

**उत्तर: B) धारा 105 के अधीन गठित किसी भी अधिकरण**

**प्रश्न.30 'कमजोर वर्ग' की परिभाषा में कौन-कौन शामिल है?**

A) केवल भूमिहीन कृषि-श्रमिक
B) भूमिहीन कृषि-श्रमिक, ग्रामीण कारीगर, सीमान्त कृषक, लघु कृषक, और आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्ति
C) केवल ग्रामीण कारीगर और सीमान्त कृषक
D) भूमिहीन कृषि-श्रमिक और लघु कृषक

**उत्तर: B) भूमिहीन कृषि-श्रमिक, ग्रामीण कारीगर, सीमान्त कृषक, लघु कृषक, और आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्ति**

**प्रश्न.31 'वर्ष' की परिभाषा क्या है?**

A) एक वित्तीय वर्ष की कालावधि
B) एक बारह मास की कालावधि, जिसे किसी सहकारी सोसाइटी के लेखे रखने के लिए विहित किया गया हो
C) कैलेंडर वर्ष
D) कोई भी 12 महीने की अवधि

**उत्तर: B) एक बारह मास की कालावधि, जिसे किसी सहकारी सोसाइटी के लेखे रखने के लिए विहित किया गया हो**

**प्रश्न.32 'प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी' की परिभाषा किस अनुभाग में उल्लिखित है?**

A) (Q)
B) (Q-A)
C) (Y)
D) (Z)

**उत्तर: B) (Q-A)**

# 2 अध्याय निगमन

3. **<u>सहकारी आन्दोलन की अभिवृद्धि:</u>** सरकार का उद्देश्य राज्य में सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहित और प्रोन्नत करना है। इसके लिए आवश्यक या वांछनीय कदम उठाए जाएंगे।
4. **<u>रजिस्ट्रार</u>**:
   (1) **रजिस्ट्रार की नियुक्ति:** सरकार को अधिकार है कि वह राज्य के सहकारी सोसाइटियों के लिए एक रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकती है और उसकी सहायता के लिए अन्य व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकती है।
   (2) **रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों की शक्तियाँ:**
   - सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार की सभी या किसी भी शक्ति प्रदान कर सकती है।
   - इसके साथ ही, सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है कि रजिस्ट्रार या अन्य अधिकारियों द्वारा किन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा और उन पर कौन-कौन सी शर्तें लागू होंगी।
   - जिन व्यक्तियों को रजिस्ट्रार की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, वे रजिस्ट्रार के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अंतर्गत उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
5. **<u>सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन:</u>**
   1) **जहाँ-**
   **(क)** यदि कम से कम पंद्रह व्यक्ति, जो कि विभिन्न कुटुम्बों के सदस्य हों, अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए सहकारी क्रियाकलापों का आयोजन करने के उद्देश्य से सहकारी सोसाइटी बनाने का इरादा रखते हैं और वे अनुसूची-'क' में वर्णित सहकारिता के सिद्धान्तों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं;
   **(ख) अन्य शर्तें:**
   - यदि कम से कम पाँच सहकारी सोसाइटियाँ ऐसी हैं जो अन्य सहकारी सोसाइटियाँ बनाने का इरादा रखती हैं, ताकि उनके उद्देश्यों को सुगम बनाया जा सके;
   - तो वे अपनी उपविधियाँ (जो वे अपनाना चाहती हैं) संलग्न करते हुए रजिस्ट्रार को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करेंगे।
   - परन्तु
     - **न्यूनतम शेयर पूँजी और सदस्यता:**
       - न्यूनतम शेयर पूँजी सोसाइटी के वर्ग के अनुसार, जैसा कि नियमों द्वारा वर्गीकृत किया गया है, से कम नहीं होनी चाहिए।
       - प्रत्येक सदस्य के लिए कम से कम एक शेयर धारित करना आवश्यक होगा।

   2) **उपविधियों की विनिर्देशन:**
   - संलग्न की गई उपविधियाँ अनुसूची 'ख' में निर्दिष्ट की जाएंगी और सामान्यतः नियमों में निर्धारित वर्ग या उपवर्ग के व्यापक परिमापों के अनुरूप होंगी।
   - ये उपविधियाँ सोसाइटी के प्रमुख उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र, सदस्यता, या अन्य मानदंडों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत करने के उद्देश्य से निर्धारित की जाएंगी।

   3) **दायित्व की प्रकृति:**
   - कोई सहकारी सोसाइटी परिसीमित (limited) या अपरिसीमित (unlimited) दायित्व के साथ रजिस्ट्रीकृत की जा सकती है।
   - यदि सोसाइटी परिसीमित दायित्व के साथ रजिस्ट्रीकृत होती है, तो उसके नाम का अंतिम शब्द 'परिसीमित' या इसके अंग्रेजी पर्यायवाची (जैसे 'Limited') होगा।

   4) किसी भी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी या उसके परिसंघ या संगम को (सिवाय उनके जिन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केंद्रीय अधिनियम सं. 10) के तहत बैंक के रूप में कार्य करने की अनुमति प्राप्त है):
   - उनके रजिस्ट्रीकृत नाम में शब्द "बैंक" या शब्द "बैंक" के किसी भी अन्य व्युत्पन्न शब्द का उपयोग नहीं किया जाएगा।
   - वे अपने नाम के भाग के रूप में "बैंक" शब्द का उपयोग नहीं करेंगे।
     - यदि किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी या उसके परिसंघ या संगम ने राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश सं. 7) के प्रारंभ से पूर्व अपने रजिस्ट्रीकृत नाम में "बैंक" या इसके व्युत्पन्न शब्दों का उपयोग किया है:
   - उन्हें प्रारंभ की तारीख से तीन माह के भीतर अपने नाम को बदलना होगा ताकि नाम से "बैंक" या उसका व्युत्पन्न शब्द हटाया जा सके।
     - यदि उक्त समयावधि के भीतर नाम परिवर्तन नहीं किया जाता है:
   - रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के परिसमापन का आदेश देगा।

5) **सहकारी सोसाइटी की जिम्मेदारी:**
   - किसी सहकारी सोसाइटी का दायित्व, जिसकी सदस्यता सहकारी सोसाइटी है, परिसीमित होगा।

6. <u>रजिस्ट्रीकरण</u>

**(1) रजिस्ट्रार का समाधान:** रजिस्ट्रार प्रस्तावित सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर ही समाधान देगा:

(क) **प्रस्तावित कार्यक्षेत्र:** प्रस्तावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र और उसकी योजना व्यवसाय की अपेक्षाओं को पूरा करती है।

(ख) **विधि और नियमों का पालन:** आवेदन इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों का पालन करता है।

(ग) **प्रस्तावित उपविधियाँ:** उपविधियाँ इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं हैं।

(घ) **सामाजिक न्याय और लोक सदाचार:** प्रस्तावित सोसाइटी के उद्देश्य सामाजिक न्याय, सहकारिता और लोक सदाचार के सिद्धांतों से असंगत नहीं हैं और प्रदेश की विधियों के अनुसार हैं।

- **रजिस्ट्रीकरण की समयसीमा:** रजिस्ट्रार आवेदन प्राप्त करने के **साठ दिन** के भीतर सहकारी सोसाइटी को यथाविहित वर्ग या उपवर्ग के अधीन रजिस्ट्रीकृत करेगा।
- **प्रमाण पत्र जारी करना:** रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी को अपने हस्ताक्षर और मुद्रा के साथ एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। यह प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करेगा कि सहकारी सोसाइटी इस अधिनियम के अंतर्गत सही तरीके से रजिस्ट्रीकृत है।
- **रद्द करने का प्रावधान:** यदि यह साबित किया जाता है कि रजिस्ट्रीकरण को रजिस्ट्रार ने इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रद्द कर दिया है, तो यह प्रमाण पत्र रद्द हो सकता है।

**(2) समावेदन करने की अवधि:**
- आवेदक को **कालावधि की समाप्ति के तीस दिन** के भीतर उनके आवेदन पर निर्णय के लिए समावेदन (representation) प्रस्तुत करना होगा।

**(3) समावेदन के प्राप्तकर्ता:**
- यदि रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान है, तो समावेदन रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान को भेजा जाएगा।
- यदि रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी सरकार है, जहाँ रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान स्वयं रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी है, तो समावेदन सरकार को भेजा जाएगा।
- रजिस्ट्रार या सरकार को समावेदन प्राप्त होने के बाद, उन्हें **तीस दिन** के भीतर आवेदन पर निर्णय लेना होगा और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवश्यक और निश्चायक निदेश जारी करना होगा।
- यदि रजिस्ट्रार या सरकार निर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय और निदेश जारी करने में विफल रहते हैं, तो सोसाइटी को स्वीकृत और रजिस्ट्रीकृत मान लिया जाएगा।

7. <u>सहकारी सोसाइटियों का निगमित निकाय होना.</u>

1) **निगमित निकाय का दर्जा:**
   - रजिस्ट्रीकरण के साथ, सहकारी सोसाइटी एक निगमित निकाय बन जाती है।
   - इसका नाम वही रहेगा, जिससे इसका रजिस्ट्रीकरण किया गया है।
2) **शाश्वत उत्तराधिकार:**
   - निगमित निकाय के रूप में, सहकारी सोसाइटी का शाश्वत उत्तराधिकार होगा, जिसका अर्थ है कि इसका अस्तित्व किसी भी व्यक्तिगत सदस्य के बदलने से प्रभावित नहीं होगा।
3) **सामान्य मोहर:**
   - सोसाइटी की एक सामान्य मोहर होगी, जिसका उपयोग आधिकारिक दस्तावेजों और लेनदेन में किया जा सकेगा।
4) **संपत्ति धारण करने की शक्ति:**
   - सोसाइटी संपत्ति धारण कर सकती है और उसकी प्रबंधन और नियंत्रण की जिम्मेदारी ले सकती है।
5) **संविदा और विधिक कार्यवाहियां:**
   - सोसाइटी संविदा कर सकती है, वाद (lawsuits) और अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित कर सकती है और उनका प्रतिवाद कर सकती है।
6) **आवश्यक कार्य:**
   - सोसाइटी उन सभी कार्यों को करने की शक्ति रखती है जो उसके गठन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं।

8. <u>उपविधियाँ</u>

**1. उपविधियों का विनियमन:**
- सहकारी सोसाइटी के कार्यों को **इस अधिनियम और नियमों** के उपबंधों के अधीन उपविधियों के सैट द्वारा विनियमित किया जाएगा।
- ये उपविधियाँ अनुसूची-ख के रूप में संलग्न हैं।
- उपविधियों में कोई भी संशोधन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि वह रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत नहीं हो जाता।

**2. संशोधन की प्रभावी तिथि:**
- किसी सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में किया गया संशोधन **रजिस्ट्रीकरण की तिथि** से प्रभावी होगा।
- यदि संशोधन में किसी विशेष दिन को प्रभावी होने की बात नहीं की गई है, तो उसे उसी दिन से लागू माना जाएगा जब उसे रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

**9. <u>सहकारी सोसाइटी का नाम परिवर्तन-</u>**

**1. नाम परिवर्तन की प्रक्रिया:**

- यदि कोई सहकारी सोसाइटी अपने साधारण निकाय में पारित विशेष संकल्प द्वारा अपना नाम परिवर्तन करने का निर्णय लेती है, तो वह रजिस्ट्रार को आवेदन करेगी।
- रजिस्ट्रार **एक सार्वजनिक नोटिस** प्रकाशित करवाएगा जिसमें नाम परिवर्तन की सूचना दी जाएगी।
- इस नोटिस के प्रकाशन के **एक माह** के भीतर प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया जाएगा, यदि कोई हों।
- आपत्तियों की समीक्षा के बाद, रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियों के रजिस्टर में पूर्ववर्ती नाम के स्थान पर नया नाम प्रविष्ट करेगा और रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र को तद्नुसार संशोधित करेगा।

**2. नाम परिवर्तन का प्रभाव:**

- नाम परिवर्तन से सहकारी सोसाइटी के अधिकारों या बाध्यताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- इसके द्वारा की गई कोई भी विधिक कार्यवाहियां त्रुटिपूर्ण नहीं होंगी।
- सोसाइटी के विरुद्ध प्रारंभ की गई या चालू विधिक कार्यवाहियाँ अब उसके नए नाम से जारी रखी या प्रारंभ की जा सकेंगी।

**10. <u>उपविधियों का संशोधन</u>**

**1) संशोधन की प्रक्रिया:**

- **प्रस्ताव का पारित होना:** किसी सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में संशोधन के लिए, प्रस्ताव को सोसाइटी द्वारा उसके साधारण निकाय की बैठक में **विशेष संकल्प** के माध्यम से पारित करना आवश्यक है।
- **रजिस्ट्रार को अग्रेषित करना:** पारित प्रस्ताव को एक निर्धारित विधि से रजिस्ट्रार को अग्रेषित किया जाएगा।
- **रजिस्ट्रार की समीक्षा:** यदि रजिस्ट्रार यह तय करता है कि प्रस्तावित संशोधन धारा 6 के अधीन उपविधियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा करता है, तो रजिस्ट्रार संशोधन का रजिस्ट्रीकरण करेगा।
- **प्रमाण पत्र जारी करना:** संशोधन के रजिस्ट्रीकरण के बाद, रजिस्ट्रार **प्रस्तुत किए जाने की तारीख से साठ दिन** के भीतर प्रमाण पत्र जारी करेगा।
- रजिस्ट्रार द्वारा जारी, हस्ताक्षरित और मुद्रांकित प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करता है कि संशोधन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है।
- कोई भी सोसाइटी अपनी उपविधियों में ऐसा कोई संशोधन पारित नहीं कर सकती जो सोसाइटियों के वर्ग या उपवर्ग की उपविधियों के अनुकूल न हो, जिसके अधीन सोसाइटी मूलतः रजिस्ट्रीकृत थी।
  - **संशोधन की स्वीकृति:** कोई भी सहकारी सोसाइटी अपनी उपविधियों में ऐसा कोई संशोधन पारित नहीं करेगी जो उस सोसाइटी के वर्ग या उपवर्ग की उपविधियों के अनुकूल न हो, जिसके अधीन सोसाइटी मूलतः रजिस्ट्रीकृत थी।

**2) प्रस्तावित संशोधन की समीक्षा:**

- यदि रजिस्ट्रार को लगता है कि प्रस्तावित संशोधन उपविधियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, तो वह उस पर अपनी टिप्पणियों सहित, उसे सोसाइटी को वापस भेजेगा।
- रजिस्ट्रार ने जो टिप्पणियाँ की हैं, उनके साथ संशोधन के प्रस्ताव को **प्रस्तुत किए जाने के साठ दिन** के भीतर सोसाइटी को वापस भेजा जाएगा।
- सोसाइटी को इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार और आवश्यक सुधार करने का अवसर मिलेगा।

**3) पुनः प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर निर्णय:**

- यदि सोसाइटी उपधारा (2) के तहत आवश्यक सुधार के बाद प्रस्तावित संशोधन को पुनः प्रस्तुत करती है, तो रजिस्ट्रार उसे **साठ दिन** के भीतर-भीतर रजिस्ट्रीकरण करेगा, यदि संशोधन उपविधियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा करता है।
- यदि संशोधन आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, तो रजिस्ट्रार नामंजूरी का आदेश जारी करेगा और सोसाइटी को सूचित करेगा।

**4) नामंजूरी की प्रक्रिया:**

- यदि नामंजूरी उपधारा (3) के तहत निर्दिष्ट समय अवधि (साठ दिन) के भीतर नहीं दी जाती, तो सोसाइटी प्रस्तावित संशोधन पर निर्णय के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान (यदि रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उसके अधीनस्थ है) और सरकार (जहाँ रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान या सरकार रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी है) को **कालावधि की समाप्ति के तीस दिन** के भीतर समावेदन (representation) भेज सकती है।
- रजिस्ट्रार या सरकार को समावेदन प्राप्त होने के बाद, उन्हें **तीस दिन** के भीतर निर्णय लेना होगा और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवश्यक और निश्चायक निदेश जारी करना होगा।
- यदि निर्णय और निदेश निर्दिष्ट समय के भीतर जारी नहीं किए जाते, तो प्रस्तावित संशोधन को स्वीकृत और रजिस्ट्रीकृत मान लिया जाएगा।

**11. <u>रजिस्ट्रार द्वारा उपविधियों में संशोधन के लिए प्रस्ताव.</u>**

**1) संशोधन का प्रस्ताव:**

- यदि रजिस्ट्रार को लगता है कि किसी सहकारी सोसाइटी या सोसाइटियों के किसी वर्ग की उपविधियों का संशोधन उनके सदस्यों के व्यापक हित या लोकहित में आवश्यक या वांछनीय है, तो रजिस्ट्रार संशोधन के प्रस्ताव को सोसाइटी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भेज सकता है।
- प्रस्ताव को **सोसाइटी के साधारण निकाय की बैठक** में **तीन मास (90 दिन)** की कालावधि के भीतर विचार के लिए भेजा जाएगा।

**2) सोसाइटी की सहमति और रजिस्ट्रीकरण:**

- यदि सोसाइटी प्रस्तावित संशोधन पर अपनी सहमति देती है, तो रजिस्ट्रार संशोधन का रजिस्ट्रीकरण कर सकेगा।
- संशोधन के रजिस्ट्रीकरण के बाद, रजिस्ट्रार सोसाइटी को एक प्रमाण पत्र जारी करेगा, जो संशोधित उपविधियों का एक हिस्सा होगा।

**3) रजिस्ट्रार के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की स्थिति:**

- यदि सोसाइटी रजिस्ट्रार के संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार करती है, और रजिस्ट्रार यह मानता है कि लोकहित में संशोधन आवश्यक है, तो रजिस्ट्रार सोसाइटी के इनकार की सूचना प्राप्त करने के **तीस दिन** के भीतर प्रस्ताव को उसके कारणों सहित राज्य सरकार को भेजेगा।
- राज्य सरकार, सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के बाद, रजिस्ट्रार को संशोधन रजिस्ट्रीकृत करने का निदेश दे सकती है। इसमें राज्य सरकार उचित समझे गए उपान्तरण भी शामिल कर सकती है।
- ऐसा संशोधन सोसाइटी और उसके सदस्यों पर बाध्यकारी होगा।

**4) समयसीमा में निर्णय न लेने की स्थिति:**

- यदि सोसाइटी उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर रजिस्ट्रार के प्रस्तावों पर निर्णय नहीं लेती है, तो उस कालावधि की समाप्ति पर प्रस्तावित संशोधन को सोसाइटी द्वारा सम्यक् रूप से पारित समझा जाएगा।
- रजिस्ट्रार तब संशोधन का रजिस्ट्रीकरण करेगा और इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

**12. <u>सहकारी सोसाइटियों की आस्तियों और दायित्वों का अन्तरण, विभाजन और समामेलन:</u>**

**1) प्रस्ताव की प्रक्रिया:**

- **सूचना और संकल्प:** यदि कोई सहकारी सोसाइटी निम्नलिखित में से कोई भी प्रस्ताव करती है, तो उसे **कम से कम पंद्रह दिन पहले** रजिस्ट्रार को सूचित करना होगा और अगली साधारण निकाय की बैठक में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से प्रस्ताव करना होगा:
  - (क) अपनी आस्तियों और दायित्वों को पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी अन्य सहकारी सोसाइटी को अंतरित करना, यदि अन्य सोसाइटी भी ऐसा संकल्प पारित करती है।
  - (ख) अपने को दो या अधिक सहकारी सोसाइटियों में विभाजित करना।
  - (ग) एक नई सहकारी सोसाइटी बनाने के लिए समामेलन करना, यदि अन्य सोसाइटी भी ऐसा संकल्प पारित करती है।
    - **रजिस्ट्रार की समीक्षा:** प्रस्ताव को रजिस्ट्रार को एक निर्धारित विधि से अग्रेषित किया जाएगा।
    - रजिस्ट्रार यह निर्णय करेगा कि प्रस्ताव **सहकारी** आंदोलन और लोकहित में है या नहीं।
    - यदि रजिस्ट्रार प्रस्ताव को अनुमोदित करता है, तो वह **प्रस्तुत किए जाने की तारीख से साठ दिन** के भीतर प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा।
    - यदि रजिस्ट्रार को प्रस्ताव में कोई समस्या दिखती है, तो वह उसे अपने टिप्पणियों के साथ सोसाइटी को पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगा।

**2) पुनः प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर निर्णय:**

- यदि सोसाइटी उपधारा (1) के तहत आवश्यक सुधार के बाद प्रस्ताव को पुनः प्रस्तुत करती है, तो रजिस्ट्रार यदि मानता है कि संशोधित प्रस्ताव आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा करता है, तो वह **प्रस्तुत किए जाने की तारीख से साठ दिन** के भीतर प्रस्ताव को अनुमोदित करेगा।
- यदि प्रस्ताव अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता, तो रजिस्ट्रार सोसाइटी को नामंजूरी के आदेश से सूचित करेगा।

**3) निर्णय के लिए समावेदन:**

- यदि उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर कोई कार्यवाही नहीं की जाती, तो सोसाइटी उस कालावधि की समाप्ति के **तीस दिन** के भीतर रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान (जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उसका अधीनस्थ है) और सरकार (जहां रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान स्वयं रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी है) को समावेदन (representation) भेज सकती है।
- रजिस्ट्रार या सरकार को समावेदन प्राप्त होने के बाद, **तीस दिन** के भीतर निर्णय लेना होगा और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवश्यक और निश्चायक निदेश जारी करना होगा।
- यदि निर्णय और निदेश निर्दिष्ट समय के भीतर जारी नहीं किए जाते, तो प्रस्ताव को अनुमोदित माना जाएगा।

4) **नोटिस का वितरण और विकल्प:**
   - जब सोसाइटी का प्रस्ताव रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो या अनुमोदित माना जाए, तो सोसाइटी को अपने सभी सदस्यों और लेनदारों को **लिखित नोटिस** देना होगा जिसमें प्रस्ताव की सभी विशिष्टताएँ शामिल हों।
   - किसी भी प्रतिकूल उपविधि या संविदा के होते हुए भी, प्रत्येक सदस्य या लेनदार को नोटिस प्राप्त करने के **एक माह** की अवधि के दौरान अपने शेयर, निक्षेप, या उधार वापस लेने का विकल्प होगा।

5) **विकल्प का प्रयोग न करने की स्थिति:**
   - यदि किसी सदस्य या लेनदार ने उपधारा (4) के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग नहीं किया, तो उसे प्रस्ताव में शामिल प्रस्तावों पर अनुमति दी गई मान लिया जाएगा।

6) **संकल्प की प्रभावशीलता:**
   - किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा इस धारा के अधीन पारित संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि:
     (क) सभी सदस्यों और लेनदारों की अनुमति प्राप्त नहीं कर ली गई है; या
     (ख) उन सदस्यों और लेनदारों के सभी दावों, जिन्होंने उपधारा (4) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग किया है, का पूर्णतया निवारण नहीं कर दिया गया है।

7) **आस्तियों और दायित्वों का हस्तांतरण:**
   - जब किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा पारित संकल्प में आस्तियों और दायित्वों का अंतरण शामिल होता है, तो संकल्प किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आस्तियों और दायित्वों का हस्तांतरण पर्याप्त रूप से मान्यता प्राप्त होगा।
   - इसमें कोई अन्य आश्वासन की आवश्यकता नहीं होगी।

8) **विधिक प्रभाव:**
   - इस धारा के अधीन किए गए समामेलन, विभाजन या अंतरण का समामेलित सोसाइटियों, विभाजित सोसाइटी के, या अंतरिती के अधिकारों या दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
   - इससे कोई भी विधिक कार्यवाही त्रुटिपूर्ण नहीं होगी जो समामेलित या विभाजित सोसाइटियों या अंतरिती द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकती हो या प्रारंभ की जा सकती हो।
   - तद्नुसार, ऐसी विधिक कार्यवाहियां समामेलित सोसाइटी, विभाजित सोसाइटी, या अंतरिती द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी या प्रारंभ की जा सकेगी।

13. **<u>रजिस्ट्रार द्वारा लोकहित इत्यादि में समामेलन, विभाजन और पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव.</u>**

1) **रजिस्ट्रार का समाधान:**
   - जब रजिस्ट्रार यह समझता है कि लोकहित में, सहकारी आंदोलन के हित में, या किसी सहकारी सोसाइटी का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि:
     - दो या अधिक सहकारी सोसाइटियों का समामेलन किया जाना चाहिए,
     - किसी सहकारी सोसाइटी का पुनर्गठन किया जाना चाहिए,
     - या दो या अधिक सोसाइटियों में विभाजन किया जाना चाहिए,
   - **प्रस्ताव का गठन:**
     - धारा 12 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार द्वारा इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, वह निम्नलिखित के साथ समामेलन, विभाजन, या पुनर्गठन का प्रस्ताव करेगा:
       - संपत्ति के अधिकार,
       - हित,
       - प्राधिकार,
       - दायित्व,
       - ऋण,
       - और बाध्यताओं,
   - **प्रस्ताव का अग्रेषण:**
     - रजिस्ट्रार इन प्रस्तावों को सोसाइटी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सोसाइटी के साधारण निकाय की बैठक में विचार करने और निर्णय लेने के लिए भेजेगा।
     - यह प्रस्ताव तीन मास की कालावधि के भीतर-भीतर प्रस्तावों पर विचार किये जाने और विनिश्चित किये जाने की अपेक्षा के साथ भेजा जाएगा।

2) **रजिस्ट्रार द्वारा आदेश पारित करना:**
   - यदि सोसाइटी उपधारा (1) के अधीन किये गये प्रस्तावों पर अपनी सहमति संसूचित कर देती है, तो रजिस्ट्रार समामेलन, विभाजन, या यथास्थिति, पुनर्गठन के आदेश पारित करेगा।

3) **प्रस्ताव पर सहमति मानना:**
   - यदि सोसाइटी उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि (तीन मास) के भीतर-भीतर रजिस्ट्रार के प्रस्ताव पर कोई निर्णय करने में विफल रहती है, तो उस प्रस्तावित समामेलन, पुनर्गठन, या विभाजन को कालावधि की समाप्ति पर सोसाइटी द्वारा सहमति प्राप्त हुआ समझा जाएगा और तदनुसार रजिस्ट्रार आवश्यक आदेश पारित करेगा।

4) **रजिस्ट्रार की शक्तियां:**
   - इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य में कोई नयी सहकारी सोसाइटी गठित करने के प्रयोजनार्थ किसी सहकारी सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सरकार की अनुमति से विभाजित करने या पुनर्गठित करने की शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित होंगी।

5) **आदेश पारित करने की शर्तें:**

**(क) प्रारूप की प्रति भेजना:**
   - इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रस्तावित आदेश के प्रारूप की प्रति संबंधित सोसाइटी या प्रत्येक सोसाइटी को नहीं भेज दी गई हो।

**(ख) सुझावों और आपत्तियों पर विचार:**
   - रजिस्ट्रार को प्रारूप पर प्राप्त होने वाले सुझावों और आपत्तियों पर विचार करना होगा। ये सुझाव और आपत्तियां निम्नलिखित से प्राप्त हो सकती हैं:
     - संबंधित सोसाइटी या सोसाइटी के किसी भी सदस्य या सदस्यों के वर्ग से,
     - किसी भी लेनदार या लेनदारों के वर्ग से।
   - रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त नियत की गई कालावधि के भीतर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, रजिस्ट्रार प्रारूप में आवश्यक संशोधन कर सकता है जो उसे वांछनीय प्रतीत हों।

6) **आदेश में अन्तर्विष्ट उपबंध:**
   - **आनुषंगिक, पारिणामिक और अनुपूरक उपबंध**:
     - उपधारा (2) या (3) में निर्दिष्ट आदेश में ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक, और अनुपूरक उपबंध अन्तर्विष्ट हो सकते हैं जो रजिस्ट्रार की राय में समामेलन, विभाजन, या पुनर्गठन को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

7) **सदस्य और लेनदार के अधिकार:**
   - समामेलित, विभाजित, या पुनर्गठित की जाने वाली सोसाइटियों के प्रत्येक सदस्य या लेनदार, जिसने समामेलन, विभाजन, या पुनर्गठन की योजना के बारे में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर आपत्ति की है, के अधिकार:
     - **सदस्य**: समामेलन, विभाजन, या पुनर्गठन का आदेश जारी होने पर, सदस्य अपने शेयर या हित प्राप्त करने का हकदार होगा।
     - **लेनदार**: लेनदार अपने ऋणों की तुष्टि में रकम प्राप्त करने का हकदार होगा।

8) **आदेश जारी होने पर लागू उपबंध:**
   - उपधारा (2) या (3) के अधीन कोई आदेश जारी होने पर धारा 12 की उपधारा (7) और (8) में अन्तर्विष्ट उपबंध इस प्रकार समामेलित, विभाजित, या पुनर्गठित सोसाइटी पर लागू होंगे मानो वह उस धारा के अधीन समामेलित, विभाजित, या पुनर्गठित हो।

**धारा 12 की उपधारा (7) और (8) के प्रमुख उपबंध:**
   - **उपधारा (7)**: समामेलन, विभाजन, या पुनर्गठन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार, संबंधित सोसाइटी के सदस्यों को उनके शेयर, हित, या दायित्वों का पुनः विनियोजन किया जाएगा।
   - **उपधारा (8)**: समामेलन, विभाजन, या पुनर्गठन के आदेश के बाद, सभी संबंधित सोसाइटियों के दस्तावेज़ों, अभिलेखों, और लेखों का उचित हस्तांतरण और संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

**14. <u>कतिपय मामलों में सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का रद्दकरण:</u>**

1) **सम्पूर्ण आस्तियों और दायित्वों का अंतरित होना:**
   - जहाँ किसी सहकारी सोसाइटी की सम्पूर्ण आस्तियाँ और दायित्व धारा 12 या 13 के उपबंधों के अनुसार किसी दूसरी सहकारी सोसाइटी को अंतरित कर दिए जाएँ:
     - ऐसी स्थिति में, प्रथम उल्लिखित सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जाएगा।
     - वह सोसाइटी विघटित मानी जाएगी और निगमित निकाय के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

2) **नई सहकारी सोसाइटी में समामेलन:**
   - जहाँ दो या अधिक सहकारी सोसाइटियाँ धारा 12 या 13 के उपबंधों के अनुसार किसी नई सहकारी सोसाइटी में समामेलित हो जाएँ:
     - नई सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण हो जाने पर, समामेलित सोसाइटियों में से प्रत्येक सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जाएगा।
     - प्रत्येक सोसाइटी विघटित मानी जाएगी और निगमित निकाय के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

3) **विभाजन की स्थिति:**
   - जहाँ कोई सहकारी सोसाइटी धारा 12 के उपबंधों के अनुसार अपने आपको दो या अधिक सोसाइटियों में विभाजित कर लेती है और धारा 13 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा विभाजन किया जाता है:

- नयी सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण हो जाने पर, मूल सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जाएगा।
- उस सोसाइटी को विघटित माना जाएगा और निगमित निकाय के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

**4) परिसमापन के बाद रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण:**

- जहाँ किसी सहकारी सोसाइटी के कार्यकलाप परिसमापित हो गए हों और उसके संबंध में धारा 63 के अधीन कोई समापक नियुक्त किया गया हो:
  - रजिस्ट्रार उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का आदेश करेगा।
  - उस सोसाइटी को विघटित माना जाएगा और रद्दकरण के आदेश की तारीख से निगमित निकाय के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

**5) रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षाओं की पूर्ति न करना:**

- जहाँ सरकार को जानकारी प्राप्त होती है कि कोई सहकारी सोसाइटी, जो धारा 6 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझी गई है, धारा 6 की उपधारा (1) में वर्णित रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करती है:
  - सरकार, सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के बाद, रजिस्ट्रार को निदेश दे सकती है कि सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण विधिपूर्वक रद्द कर दिया जाए।
  - रद्दकरण के पश्चात्, सोसाइटी का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

## अध्याय-2 (निगमन) वस्तुनिष्ठ प्रश्न

**Q.1 सहकारी आन्दोलन की अभिवृद्धि के लिए सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है?**

(A) सहकारी आन्दोलन को प्रतिबंधित करना
(B) सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहित और प्रोन्नत करना
(C) सहकारी आन्दोलन को नष्ट करना
(D) सहकारी आन्दोलन के कार्यों में हस्तक्षेप करना

**उत्तर: (B) सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहित और प्रोन्नत करना**

**Q.2 रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए सरकार को क्या अधिकार प्राप्त है?**

(A) केवल एक रजिस्ट्रार नियुक्त करने का अधिकार
(B) एक रजिस्ट्रार और उसकी सहायता के लिए अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति का अधिकार
(C) केवल रजिस्ट्रार की शक्तियों को कम करने का अधिकार
(D) सहकारी आन्दोलन के सभी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार

**उत्तर: (B) एक रजिस्ट्रार और उसकी सहायता के लिए अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति का अधिकार**

**Q.3 सरकार रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों को किस प्रकार की शक्तियाँ प्रदान कर सकती है?**

(A) केवल सामान्य आदेश द्वारा
(B) विशेष आदेश द्वारा
(C) साधारण या विशेष आदेश द्वारा
(D) मौखिक आदेश द्वारा

**उत्तर:** (C) साधारण या विशेष आदेश द्वारा

**Q.4 रजिस्ट्रार की शक्तियाँ किसके नियंत्रण में होती हैं?**

(A) केवल रजिस्ट्रार के व्यक्तिगत नियंत्रण में
(B) सरकार के सीधे नियंत्रण में
(C) रजिस्ट्रार के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अंतर्गत
(D) सहकारी सोसाइटियों के नियंत्रण में

**उत्तर: (C) रजिस्ट्रार के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अंतर्गत**

**Q.5 सहकारी सोसाइटी बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो विभिन्न कुटुम्बों के सदस्य हों?**

(A) 10
(B) 15
(C) 20
(D) 25

**उत्तर:** (B) 15

**Q.6 सहकारी सोसाइटी की रजिस्ट्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें सही हैं?**

(A) न्यूनतम शेयर पूँजी की कोई आवश्यकता नहीं है।
(B) प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक शेयर धारित करना आवश्यक है।
(C) उपविधियों को अनुसूची 'ग' में निर्दिष्ट किया जाएगा।
(D) सहकारी सोसाइटी का नाम हमेशा 'बैंक' शब्द के साथ समाप्त होगा।

**उत्तर:** (B) प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक शेयर धारित करना आवश्यक है।

**Q.7 यदि सहकारी सोसाइटी परिसीमित दायित्व के साथ रजिस्ट्रीकृत होती है, तो उसके नाम का अंतिम शब्द क्या होगा?**

(A) "Unlimited"
(B) "Restricted"
(C) "Limited"
(D) "Bounded"

**उत्तर: (C) "Limited"**

**Q.8 प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी या उसके परिसंघ को उनके रजिस्ट्रीकृत नाम में कौन सा शब्द नहीं उपयोग करना चाहिए?**

(A) "Cooperative"
(B) "Bank"
(C) "Credit"
(D) "Savings"

**उत्तर:** (B) "Bank"

**Q.9 यदि एक प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी ने अपने नाम में "बैंक" शब्द का उपयोग किया है, तो उन्हें नाम परिवर्तन के लिए कितने समय के भीतर कार्रवाई करनी होगी?**

(A) 1 महीना
(B) 3 महीने
(C) 6 महीने
(D) 1 वर्ष

**उत्तर: (B) 3 महीने**

**Q.10 यदि किसी सहकारी सोसाइटी का दायित्व परिसीमित है, तो वह किस प्रकार की जिम्मेदारी के साथ रजिस्ट्रीकृत होगी?**

(A) अपरिसीमित
(B) लिमिटेड
(C) अनलिमिटेड
(D) अज्ञात

**उत्तर: (B) लिमिटेड**

**Q.11 रजिस्ट्रार प्रस्तावित सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए कौन-कौन सी शर्तों को पूरा करने पर समाधान देगा?**

(A) प्रस्तावित कार्यक्षेत्र, विधि और नियमों का पालन, प्रस्तावित उपविधियाँ, सामाजिक न्याय और लोक सदाचार
(B) केवल प्रस्तावित कार्यक्षेत्र और सामाजिक न्याय
(C) केवल विधि और नियमों का पालन और प्रस्तावित उपविधियाँ
(D) केवल सामाजिक न्याय और लोक सदाचार

**उत्तर: (A) प्रस्तावित कार्यक्षेत्र, विधि और नियमों का पालन, प्रस्तावित उपविधियाँ, सामाजिक न्याय और लोक सदाचार**

**Q.12 रजिस्ट्रार को सहकारी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करने की समयसीमा क्या है?**

(A) 30 दिन
(B) 60 दिन
(C) 90 दिन
(D) 120 दिन

**उत्तर: (B) 60 दिन**

**Q.13 रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी को प्रमाण पत्र कब जारी किया जाएगा?**

(A) आवेदन प्राप्त करने के 30 दिन के भीतर
(B) रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर और मुद्रा के साथ
(C) आवेदन प्राप्त करने के 60 दिन के भीतर
(D) आवेदन प्राप्त करने के 90 दिन के भीतर

**उत्तर: (B) रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर और मुद्रा के साथ**

**Q.14 यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाता है, तो यह किस स्थिति में होगा?**

(A) रजिस्ट्रार ने इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रद्द कर दिया है
(B) आवेदन में त्रुटियाँ हैं
(C) सोसाइटी ने रजिस्ट्रार से संपर्क नहीं किया
(D) प्रमाण पत्र की अवधी समाप्त हो गई है

**उत्तर: (A) रजिस्ट्रार ने इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रद्द कर दिया है**

**Q.15 समावेदन प्रस्तुत करने की अवधि क्या है?**

(A) 15 दिन
(B) 30 दिन
(C) 45 दिन
(D) 60 दिन

**उत्तर: (B) 30 दिन**

**Q.16 यदि समावेदन रजिस्ट्रार को भेजा जाता है, तो निर्णय लेने की अवधि कितनी है?**

(A) 15 दिन
(B) 30 दिन
(C) 45 दिन
(D) 60 दिन

**उत्तर: (B) 30 दिन**

**Q.17 यदि रजिस्ट्रार या सरकार निर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय और निदेश जारी नहीं करते हैं, तो क्या होगा?**

(A) आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा
(B) आवेदन स्थगित कर दिया जाएगा
(C) सोसाइटी को स्वीकृत और रजिस्ट्रीकृत मान लिया जाएगा
(D) सोसाइटी को पुनः आवेदन देने के लिए कहा जाएगा

**उत्तर: (C) सोसाइटी को स्वीकृत और रजिस्ट्रीकृत मान लिया जाएगा**

**Q.18 सहकारी सोसाइटी का निगमित निकाय बनने के बाद इसका नाम क्या रहेगा?**

(A) बदल सकता है
(B) नया नाम तय किया जाएगा
(C) वही नाम रहेगा जिससे इसका रजिस्ट्रीकरण किया गया है
(D) केवल अनुमोदित नाम रहेगा

**उत्तर: (C) वही नाम रहेगा जिससे इसका रजिस्ट्रीकरण किया गया है**

**Q.19 निगमित निकाय के रूप में सहकारी सोसाइटी का शाश्वत उत्तराधिकार क्या होता है?**

(A) यह किसी भी व्यक्तिगत सदस्य के बदलने से प्रभावित नहीं होता
(B) यह केवल सदस्य के निधन पर प्रभावित होता है
(C) यह केवल सदस्य के इस्तीफे पर प्रभावित होता है
(D) यह सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से प्रभावित होता है

**उत्तर: (A) यह किसी भी व्यक्तिगत सदस्य के बदलने से प्रभावित नहीं होता**

**Q.20 सहकारी सोसाइटी की सामान्य मोहर का उपयोग किस प्रकार के दस्तावेजों और लेनदेन में किया जा सकता है?**

(A) केवल आंतरिक दस्तावेजों में
(B) केवल बाहरी लेनदेन में
(C) आधिकारिक दस्तावेजों और लेनदेन में
(D) केवल प्रशासनिक कार्यों में

**उत्तर: (C) आधिकारिक दस्तावेजों और लेनदेन में**

**Q.21 सहकारी सोसाइटी संपत्ति धारण करने के संदर्भ में क्या अधिकार रखती है?**

(A) संपत्ति धारण नहीं कर सकती
(B) केवल किराए पर ले सकती है
(C) संपत्ति धारण कर सकती है और उसके प्रबंधन और नियंत्रण की जिम्मेदारी ले सकती है
(D) केवल संपत्ति की बिक्री कर सकती है

**उत्तर: (C) संपत्ति धारण कर सकती है और उसके प्रबंधन और नियंत्रण की जिम्मेदारी ले सकती है**

**Q.22 सहकारी सोसाइटी उपविधियों के संदर्भ में कौन सा बयान सही है?**

(A) उपविधियाँ केवल आंतरिक नीतियों के लिए होती हैं
(B) उपविधियाँ अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अधीन विनियमित की जाएंगी
(C) उपविधियों में कोई भी संशोधन तुरंत प्रभावी होगा
(D) उपविधियों को केवल विधायिका द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है

**उत्तर: (B) उपविधियाँ अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अधीन विनियमित की जाएंगी**

**Q.23 यदि उपविधियों में संशोधन किया जाता है, तो वह संशोधन कब प्रभावी होगा?**

(A) संशोधन की तिथि से
(B) रजिस्ट्रीकरण की तिथि से
(C) संशोधन की अधिसूचना की तिथि से
(D) जब तक रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत नहीं हो जाता

**उत्तर: (B) रजिस्ट्रीकरण की तिथि से**

**Q.24 यदि उपविधियों में किसी विशेष दिन को प्रभावी होने की बात नहीं की गई है, तो उसे कब लागू माना जाएगा?**

(A) जब रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा
(B) जब इसे अनुमोदित किया जाएगा
(C) उसी दिन से जब इसे रजिस्ट्रीकृत किया गया है
(D) अगले वित्तीय वर्ष से

**उत्तर: (C) उसी दिन से जब इसे रजिस्ट्रीकृत किया गया है**

**Q.25 यदि कोई सहकारी सोसाइटी अपना नाम परिवर्तन करना चाहती है, तो क्या प्रक्रिया अपनानी होगी?**

(A) विशेष संकल्प पारित करना और रजिस्ट्रार को आवेदन करना
(B) केवल रजिस्ट्रार को आवेदन करना
(C) केवल सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करना
(D) नाम परिवर्तन के लिए सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना

**उत्तर: (A) विशेष संकल्प पारित करना और रजिस्ट्रार को आवेदन करना**

**Q.26 नाम परिवर्तन के बाद सहकारी सोसाइटी के अधिकारों या बाध्यताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा?**

(A) कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा
(B) अधिकार और बाध्यताओं में बदलाव होगा
(C) केवल विधिक कार्यवाहियां प्रभावित होंगी
(D) नाम परिवर्तन के कारण अधिकार समाप्त हो जाएंगे

**उत्तर: (A) कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा**

**Q.27 नाम परिवर्तन के सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन के बाद आपत्तियों पर विचार करने की अवधि क्या होगी?**

(A) 15 दिन
(B) 30 दिन
(C) 45 दिन
(D) 60 दिन

**उत्तर: (B) 30 दिन**

**Q.28 यदि उपविधियों में संशोधन किया जाता है, तो रजिस्ट्रार कितनी अवधि के भीतर प्रमाण पत्र जारी करेगा?**

(A) 30 दिन
(B) 45 दिन
(C) 60 दिन
(D) 90 दिन

**उत्तर: (C) 60 दिन**

**Q.29 रजिस्ट्रार द्वारा संशोधन की समीक्षा के बाद, यदि संशोधन उपविधियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा?**

(A) संशोधन को अस्वीकृत करेगा और टिप्पणियाँ लौटाएगा
(B) संशोधन को स्वीकृत करेगा
(C) सोसाइटी को नामंजूरी का आदेश देगा
(D) संशोधन को स्थगित कर देगा

**उत्तर: (A) संशोधन को अस्वीकृत करेगा और टिप्पणियाँ लौटाएगा**